रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062026-273415
CG-DL-E-13062026-273415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948
No. 411] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

सा.का.नि. 458(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि 99(अ), तारीख 2 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 3 फरवरी, 2026 को जनता को उपलब्धकरा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 126 के चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नौंवे और दसवें परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि परिवर्तित, पुनःसुसज्जित या अनुकूलित मोटरयान का परीक्षण तथा प्रकार अनुमोदन इस नियम में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरणों द्वारा किया जाएगा, या अधिनियम धारा 52 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा स्वतः प्रमाणित किया जाएगा, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कार्यशालाओं द्वारा स्वतः प्रमाणित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि यान विनिर्माता के संबंध में, जो भारत में दाएं हाथ के स्टियरिंग नियंत्रण वाले यानों की अप्रयुक्त पूर्णता निर्मित यूनिट या पूर्णतः अलग अलग पुर्जों में विभाजित यूनिटों का आयात, सीधे या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, यथास्थिति, एम 1 या एल प्रवर्ग के यानों की 2500 यूनिट तक और अन्य प्रवर्गों के यानों की वार्षिक 500 यूनिट तक, जो अंतरराष्ट्रीय मानक अर्थात् यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ईईसी) या यूरोप आर्थिक आयोग (ईसीई) या जापानी के अनुपालक हो, ऐसे यान का किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक हेतु अनुपालन प्रमाणपत्र द्वारा नियम 47 के अधीन विक्रय और रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुपालन स्थापित माना जाएगा और ऐसा आयातित यान यदि परिवहन यान के रुप में रजिस्ट्रीकृत है तो केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 का अनुपालन करेगा :

परंतु यह भी कि सकारात्मक प्रज्वलन इंजन के साथ सुसज्जित सभी आयातित एल तथा एम 1 प्रवर्ग के गैसोलीन ईंधन यान के लिए, यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ईईसी), यूरोप आर्थिक आयोग (ईसीई) या जापानी मानकों के अनुसार पूर्ण यान प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र के अतिरिक्त यान विनिर्माता, ई 20 निर्देश ईंधन (आईएस:17943 के अनुसार) पर टाइप-1 निकास उत्सर्जन अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करेगी, जो कि केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में सूचीबद्ध किसी प्राधिकृत परीक्षण अभिकरण द्वारा जारी की जाएगी, या यान प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने वाले किसी प्राधिकृत परीक्षण अधिकरण द्वारा या प्रकार अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा तथा तकनीकी सेवाएं यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ईईसी), यूरोप आर्थिक आयोग (ईसीई) या जापानी मानकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानक अर्थात् यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ईईसी), यूरोप आर्थिक आयोग (ईसीई) या जापानी में लागू उत्सर्जन परीक्षण चक्र पर निष्पादित होंगी। यान विनिर्माता उक्त रिपोर्ट के साथ ई 20 ईंधन के लिए सामग्री अनुरुपता हेतु घोषणा प्राधिकृत परीक्षण अभिकरण को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह भी कि कृषि ट्रैक्टरों के प्रकार अनुमोदन और प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया एआईएस - 017 (भाग 2) (आरईवी.2) : 2016 मानक के अनुसरण में होगी :

परंतु यह भी कि भारत में पूरी तरह से निर्मित यूनिट के रूप में निजी उपयोग, प्रदर्शन, परीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक कार्य के प्रयोजन के लिए आयातित अंतरराष्ट्रीय मानक अर्थात् यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ईईसी), यूरोप आर्थिक आयोग (ईसीई) या जापानी मानकों के अनुपालन में अप्रयुक्त दाएं हाथ के स्टियरिंग नियंत्रण वाले यान के संबंध में, नियम 47 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे यानों का अनुपालन, किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक के अनुपालन प्रमाणपत्र द्वारा स्थापित माना जाएगा :

परंतु यह भी कि निर्माण उपकरण यान में स्टियरिंग नियंत्रण दोनों तरफ प्रदान किया जा सकता है तथा कृषि ट्रैक्टर में आगे या पिछली तरफ बीच में प्रदान किया जा सकता है :

परंतु यह भी कि ऑटोमोटिव उद्योग मानक, टाइप अनुमोदन प्रक्रिया 115/116, भारतीय मानक तथा अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण मानक संगठन में शुद्धीपत्र, संशोधन, पुनरीक्षण से निपटने की प्रशासनिक प्रक्रिया एआईएस - 000:2013 के अनुसरण में होगी :

परंतु यह भी कि ट्रक बॉडी के प्रोटोटाइप, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा विनिर्दिष्ट इंजीनियरी महाविद्यालयों को परीक्षण तथा प्रकार अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं।"।

[फा. सं. आरटी-11028/09/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा अंतिम बार सा.का.नि. 417(अ) तारीख 25 मई, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

G.S.R. 458(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 99(E), dated the 02nd February, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), dated the 3rd February, 2026, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification was made available to the public on 3rd February, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and Commencement: (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 126, for the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth and tenth provisios, the following provisios shall be substituted, namely:-

“Provided also that altered, retrofitted or adapted motor vehicles shall be tested and type approved by the testing agencies specified in this rule, or self-certified by original equipment manufacturers, or self-certified by the work-shops authorised by the State Government, in accordance with section 52 of the Act and the rules made thereunder:

Provided also that in respect of vehicle manufacturer, importing into India unused completely built units or completely knocked down units of right hand steering control vehicles, directly or through their authorised representative, up to 2500 units of M 1 or L category of vehicles, as the case may be, and up to 500 units of other categories of vehicles annually, compliant with international standard, namely European Economic Community (EEC) or Economic Commission for Europe (ECE) or Japanese, the compliance of such vehicle shall be deemed to be established for sale and registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency and such imported vehicles if registered as Transport vehicles shall comply with rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989:

Provided also that for all imported L and M1 category gasoline-fuelled vehicles equipped with positive ignition engine, the vehicle manufacturer in addition to whole vehicle type approval certificate as per European Economic Community (EEC), Economic Commission for Europe (ECE), or Japanese standards shall provide a Type-I exhaust emission compliance report performed on E20 reference fuel (as per IS :17943), issued by an authorised test agency listed in the rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, or by an authorized test agency issuing

vehicle type approval certificate or by type approval authorities and technical services as per European Economic Community (EEC), Economic Commission for Europe (ECE), or Japanese standards, performed on emission test cycle applicable in international standard, namely European Economic Community (EEC), Economic Commission for Europe (ECE) or Japanese. The vehicle manufacturers along with the said report shall submit a declaration for material compatibility for E 20 fuel to the authorised test agency:

Provided also that the procedure for type approval and certification of agricultural tractors shall be in accordance with AIS-017(Part 2) (Rev.2): 2016 standard:

Provided also that in respect of unused right-hand steering control vehicles compliant with the international standard namely, European Economic Community (EEC), Economic Commission for Europe (ECE), or Japanese standards, imported into India as completely built units, for the purpose of personal use, demonstration, testing, research or scientific work, the compliance of such vehicles shall be deemed to be established for registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency:

Provided also that the steering control in construction equipment vehicles may be provided on either side and in agricultural tractor may be provided at the centre on the front or rear side:

Provided also that the administrative procedure to deal with corrigendum, amendments or revisions to Automotive Industry Standards, Type Approval Procedures 115/116, Indian Standards and International Organisation for Standardisation standards, shall be in accordance with AIS-000:2013:

Provided also that prototype of truck bodies may be submitted for testing and type approval to engineering colleges specified by the State Government or the State Road Transport Undertakings duly approved by the State Government.”.

[F. No RT-11028/09/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. 417(E) dated the 25th May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.13 00:09:24 +05'30'